

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 312/23  
(जीसीएमएस संख्या 2023/423)

निर्णय दिनांक: 18-03-2025

1. केवा उर्फ केवाराम पुत्र तेजा उर्फ तेजाराम जाति सुथार निवासी 5 आर एम तहसील कोलायत वर्तमान पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 22-03-1988  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:—

1. श्री पदम सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22-03-1988 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर सामान्य आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बावजूद सूचना सबूत पेश नहीं करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कृषक होने के तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-03-1988 के विरुद्ध अपील दिनांक 28-11-2023 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

प्रार्थना पत्र अपीलांट का कार्य कृषि होने का सबूत पेश नहीं करने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-03-1988 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 28-11-2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्देश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्देश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत यथा अपीलांट का कार्य कृषि होने का सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।


राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत की प्रथम आदेशिका दिनांक 22-03-1988 में यह अभिलिखित किया गया था कि पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के आय का स्रोत खेती नहीं होकर लकड़ी का कार्य है। अतः पत्रावली आयन्दा निर्णय लेने हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हो। उसके पश्चात बिना दिनांक की आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा ना ही प्रार्थी के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना है केवल मात्र प्रफोर्मा अंकित है। उक्त प्रफोर्मा में प्रार्थी द्वारा सबूत पेश नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना अंकित है। जबकि उक्त आदेशिका में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।



प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जाँच नहीं की गई कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं? ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस जारी किया गया है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से बिना तथ्यों की जाँच व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-03-1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों की जाँच करते हुए अपीलांत की पात्रता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे।



निर्णय आज दिनांक 18-03-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर